वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

शिक्षा विभाग हरियाणा

वर्ष 1975-76

प्रकाशक

निदेशक, शिक्षा विभाग, हरियाणा।

विषय विवर्णिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	रिपोर्ट की समीक्षा	1—6
1.	सामान्यसार	7—14
2.	शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन	15—18
3.	विद्यालय शिक्षा	19—27
4.	महाविद्यालय शिक्षा	28—32
5.	शिक्षक प्रशिक्षण	33—35
6.	समाज शिक्षा	36—39
7.	महिला शिक्षा	40—43
8.	शिक्षा सुधार कार्यक्रम	44—48
9.	छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता	49—52
10.	विविध	53—59

शिक्षा विभाग हरियाणा की वर्ष 1975-76 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

हरियाणा शिक्षा विभाग राज्य में तकनीकी शिक्षा को छोड़कर जिसके लिए अलग विभाग है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक, डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की शिक्षा के प्रबन्ध एवं विकास के लिए कार्यरत है। राज्य में बी: एन: सी: विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र एक सम्बद्ध विश्वविद्यालय है। इसके अतिरिक्त रोहतक में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। रोहतक के 16 किलोमीटर के घेरे के अन्दर स्थित सभी महा विद्यालय इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिये गये हैं। बी: एन: सी: विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की शिक्षा के लिए एक प्रादेशिक केन्द्र भी चलता रहा है। शिक्षा के विकास में राजकीय कालेजों और स्कूलों के साथ साथ अराजकीय स्कूलो/कालेजों का भी योगदान वर्णनीय है। शिक्षा निदेशालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों से सम्बन्धित विकास योजनाएं बनाने, उनसे सम्बन्धित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने एवं उनका उचित समन्वय करने का कार्य करता है।

शिक्षा विभाग की यह रिपोर्ट 1-4-1975 से लेकर 31-3-1976 तक की अवधि से सम्बन्धित है। इस अवधि में राज्य मे शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों पर भी विशेष बल दिया गया है। मुख्यत: इस विभाग की गतिविधियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

(क) शिक्षा की विकास योजनाओं को बनाना तथा उनको कार्यन्वित करना।

(ख) अराजकीय महाद्यिालयों/विद्यालयों की पात्रता परखने के बाद अनुदान देना।

(ग) सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों को ऋण एवं छात्रवृत्तियां देना।

(घ) हरिजन छात्रों को वजीफे, छात्रवृत्तियां एवं फीसों की प्रतिपूर्ति करना।

(ङ) छात्रों को उचित मूल्यों पर अभ्यास पुस्तिकाएं एवं पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाना।

(क) शिक्षा की विकास योजनाओं का बनाना तथा उनकी कार्यान्वित करना :-

(1) बजट :-

वर्ष 1975-76 में शिक्षा विभाग का कुल बजट (संशोधित अनुमान) 3348.52 लाख रुपये का था जिसमें योजना स्तर पर 307.11 लाख रुपये और योजनोत्तर स्तर पर 3041.41 लाख रुपये था।

(2) छात्र संख्या :-

भिन्न भिन्न स्तरों पर शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या वर्ष 1975-76 में 17.64 लाख थी। यह संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा 0.51 लाख अधिक थी।

(3) शिक्षा के भिन्न भिन्न स्तरो तथा आयु वर्ग में पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात :-

रिर्पोटाधीन अवधि में स्कूल स्तर पर छात्र संख्या में विशेष वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले 6–11 वर्ष की आयु वर्ग के बालको का अनुपात 69.30 प्रतिशत से बढ़कर 70.5 प्रतिशत हो गया। माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर 1–14 तथा 14–17 आयु वर्ग के विद्यार्थियों का वर्ष 1975-76 में यह प्रतिशत क्रमश: 45.2 तथा 26.0 प्रतिशत रहा।

(4) स्कूलों के स्तर को बढ़ाना :-

इस अवधि में सरकार ने 2 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर माध्यमिक तथा 4 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर उच्च किया है। इस के अतिरिक्त निजी क्षेत्र (प्राइवेट सैक्टर) में भी कुछ मिडल स्कूलों के स्तर में भी बढ़ोतरी कर उच्च किया गया।

(5) नए महाविद्यालयों की स्थापना

इस अवधि में राज्य में 6 नए अराजकीय महाविद्यालयों (प्राईवेट सैक्टर में) स्थापित हुए। इन 6 नये महाविद्यालयों के स्थापित होने से राज्य में महाविद्यालयों/शिक्षण माध्यमिक महाविद्यालय की संख्या 110 से बढ़कर 116 हो गई। इस वर्ष सरकार द्वारा कोई नया महाविद्यालय स्थापित नहीं किया गया।

(6) राजकीय महाविद्यालयों में नए विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान करना :-

इस अवधि में राजकीय महाविद्यालय, कालका में संगीत (वाद्य तथा गायन)

गुड़गांव में लोक प्रबंध तथा वाणिज्य, नारनौल में संगीत (गायन) फरीदाबाद तथा भिवानी में सचिवालय प्रशिक्षण, रोहतक में फ्रैंच, जर्मन तथा बी: फारमेसी के विषयों की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध की गई।

राजकीय कालिजों में इन नये विषयों को चालू करने हेतु 6 प्राध्यापकों के नए पद बनाए गए हैं। इस अवधि में 82 हजार छात्रों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की।

(7) विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के वेतनमान :–

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के वेतनमान में संशोधन दिनांक 1-1-73 से कर दिया है।

(8) शिक्षा के स्तर में सुधार

शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए 1975-76 में राज्य में 5000 जे0बी0टी0 तथा 1200 बी0ए0बी0 एड: अध्यापकों को स्थापित किए गए अलग-अलग प्रशिक्षण केन्द्रों में ग्रीष्मावकाश के दौरान सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया।

(9) शाला संगम

शाला संगम योजना को और सुचारु रूप से चलाने हेतु इस वर्ष सभी 841 केंद्र स्कूलों के मुख्यों को जिला स्तर पर एक दिन की संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शाला संगम की मासिक बैठक में अध्यापकों द्वारा आपस में अध्यापन संबंधी समस्याओं पर चर्चा की गई, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि हुई।

(10) विज्ञान शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना :–

यूनिसिफ स्कीम के अन्तर्गत इस वर्ष 512 प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान की किटें दी गई। सरकार ने विज्ञान किटों को देने तथा प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए 4.33 लाख रुपये की व्यवस्था की।

(11) अनौपचारिक शिक्षा

वर्ष 1974-75 में 6–11 तथा 14–17 आयु वर्ग के हरिजन छात्रों (लड़कों

तथा लड़कियों) तथा सभी वर्गों की लड़कियों के लिए प्रयोगात्मक आधार पर की गई अनौपचारिक शिक्षा की योजना का इस वर्ष अन्य चार उप मण्डलों, फिरोजपुर झिरका, लोहारु, झज्जर तथा फतेहाबाद में विकास किया गया। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा इस कार्य क्रम के लिए 3.50 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई। इसवर्ष 15-25 आयु वर्ग के युवकों के लिए भी अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम राज्य के दो जिलों, भिवानी तथा जीन्द में आरम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 6000 पुरुषों तथा महिलाओं ने साक्षरता का लाभ प्राप्त किया।

(12) ग्राम शिक्षा मोहिम/किसान साक्षरता योजना :–

पिछले वर्ष की भान्ति यह कार्यक्रम वर्ष 1975-76 में भी भली प्रकार चलाया गया।

(13) बीमारी तथा गंदगी के विरुद्ध नवयुवक अभियान :–

रिर्पोटाधीन अवधि में एन0एस0एस0 की इस स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा राज्य में 120 शिविर लगाए गए, जिनमें 4874 छात्रों ने भाग लिया तथा भाग लेने वाले छात्रों ने सामाजिक कार्य किये। इन शिविरों पर 3.60 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

(14) अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष :–

वर्ष 1975-76 में राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष के लिए 6.73 लाख रुपये की राशि एकत्रित की गई। इस वर्ष विपदाग्रस्त अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को इस कोष में से 83,421 रुपये सहायता के रूप में दिये गये।

(ख) अराजकीय विद्यालयों/महाविद्यालों को पात्रता परखने के बाद अनुदान देना :–

अराजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों को शिक्षा विकास कार्यक्रम को चालू रखने हेतु सरकार ने रिर्पोटाधीन अवधि से निम्नलिखित अनुदान दिया :

(1) अराजकीय विद्यालय	55.59 लाख रुपये
(2) अराजकीय महाविद्यालय	42.76 लाख रुपये

इसके अतिरिक्त बी0एन0सी0 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 139.10 लाख रुपये तथा रोहतक विश्वविद्यालय, रोहतक को 2.17 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

(ग) सुपात्र तथा योग्य विद्यार्थियों को ऋण एवं छात्रवृत्तियां देना :-

भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अधीन विद्यालयों/महाविद्यालयों में पढने वाले 753 छात्रों को नई तथा नवीकरण की गई छात्रवृत्तियों हेतु 6.37 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। मैट्रिक उपरान्त संस्थाओं में पढने के लिए 576 हरियाणवी छात्रों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां दी गई, जिसके लिए 4.15 लाख रुपये की व्यवस्था थी।

सैनिक स्कूलों में पढने वाले 631 हरियाणवी छात्रों पर 13.80 लाख रुपये खर्च किये गये।

राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में पढने वाले 1014 छात्रों तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढने वाले 668 छात्रों को क्रमश: 10 रुपये तथा 15 रुपये प्रतिमास की दर से छात्रवृत्तियां देने के लिए 5.21 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में संस्कृत पढने वाले छात्रों के लिए 2 छात्रवृतियां प्रति जिले के लिए 10 रुपये प्रति मास की दर से दी जाती है। इस अवधि में तेलगू पढ़ने वाले बच्चों को भी सातवीं कक्षा में 156 तथा आठवीं कक्षा में 153 छात्रवृतियां 10 रुपये प्रतिमास की दर से दी गई।

(घ) हरिजन छात्रों को वजीफे छात्रवृतियां एवं फीसों की प्रतिपूर्ति देना :-

राज्य हरिजन कल्याण योजना के अन्तंगत स्कूल स्तर पर पढने वाले हरिजन तथा अन्य पिछड़े वर्ग और विमुक्त जातियों के छात्रों तथा कालेज स्तर पर पढने वाले पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृतियां व वजीफे व परीक्षा फीस की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा 40.33 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं में पढने वाली हरिजन छात्राओं को प्रतिवर्ष प्रत्येक कक्षा में 50-50 छात्रवृतियां योग्यता के आधार पर दी जाती है जिसके लिए वर्ष 1975-76 में 45,000 रुपये की व्यवस्था की गई।

(च) छात्रों को उचित मूल्यों पर अभ्यास पुस्तिकाएं एवं पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना :-

(1) वर्ष 1975-76 में नियन्त्रित दरों पर भारत सरकार द्वारा दिए गए कागज़ों के कारण पाठ्य पुस्तकों की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को सस्ते दामों पर अभ्यास पुस्तिकाएं स्कूलों तथा कालेजों के विद्यार्थियों को विद्यार्थी स्टोरों के माध्यम से बेची गई।

रिर्पोटाधीन अवधि में राज्य में 5993 स्कूलों में बुक बैंक स्थापित किये गए हैं तथा इससे लगभग 1,65,902 छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिए 9.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

(11) छात्रावासो में नियन्त्रित मूल्य पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराना

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रावासो में रहने वाले छात्रों को नियन्त्रित मूल्यों तथा सस्ते दामों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध की गई है। राज्य के सभी छात्रावासों को निकटतम सहकारी उपभोक्ता स्टोरज के साथ जोड़ दिया गया है। इस योजना से छात्रों के मैस बिल में लगभग 10 प्रतिशत की कमी हुई हैं।

प्रशासनिक अधिकारी :-

वर्ष 1975-76 में श्री माड़ू सिंह मलिक, शिक्षा मंत्री के पद पर और श्रीमति प्रसन्नी देवी राज्य शिक्षा मंत्री के पद पर आरुढ रहे।

शिक्षा आयुक्त एवं सचिव के पद का कार्यभार श्री बी0एस0 ओझा, आई0ए0एस0 के पास रहा : कार्य में उनकी सहायता उप सचिव (शिक्षा) श्री एस0 के0 जैन, आई0 ए0एस0, श्री पूर्ण चन्द कश्यप, अवर सचिव (शिक्षा) ने की।

रिर्पोटाधीन वर्ष में भी श्री ए: सी: अग्रवाल, आई: ए: एस: 1-9-75 तक निदेशक शिक्षा के पद पर रहे और 9-10-75 से श्री एल0एम0 गोयल, आई0ए0एस0 ने निदेशक शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाला।

म0 सेठ
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग ।

"अध्याय प्रथम"

–0–

सामान्य सार

1.1 प्रस्तुत प्रशासनिक रिपोर्ट शिक्षा विभाग के वर्ष 1975-76 की शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों से सम्बन्धित है और हरियाणा राज्य स्थापित होने के बाद यह दसवीं रिपोर्ट है।

1.2 पहली अगस्त 1975 को हरियाणा में स्थित विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की संख्या तथा उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही :–

संस्था का प्रकार	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या (लाखों में)		
		लड़के	लड़कियां	कुल
प्राथमिक पाठशालाएं	5149	4.48	2.12	6.60
माध्यमिक पाठशालाएं	758	1.84	0.74	2.58
उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालाएं	1129	5.62	2.02	7.64
जे0बी0टी0संस्थाएं	10	—	—	—
महाविद्यालय	116	0.61	0.21	0.82
विश्वविद्यालय	1			
पोस्ट ग्रेजुएट रिजनल केन्द्र	2			
योग		12.55	5.09	17.64

स्तर अनुसार छात्र संख्या :-

1.3 अगस्त 1975 में स्तर अनुसार छात्र संख्या इस प्रकार थी :-

शिक्षा स्तर	छात्र संख्या (लाखों में)		
	लड़के	लड़कियां	कुल
प्राथमिक स्तर	7.52	3.52	11.04
माध्यमिक स्तर	2.90	0.92	3.82
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	1.52	0.44	1.96
जे0बी0टी0 कक्षाएं/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर	0.61	0.21	0.82
योग	12.55	5.09	17.64

इस वर्ष 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में काफी सुधार हुआ है। फिर भी हरियाणा राज्य इस आयु वर्ग में समस्त भारत के औसत अनुपात के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। इसका मुख्य कारण यह है कि हरियाणा के लोग रूढ़िवादी विचारों के हैं। राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए तथा अधिक से अधिक संख्या में लड़कियों और हरिजन बच्चों को स्कूलों में प्रविष्ट कराने के लिए सरकार ने कई सुविधाएं उपलब्ध की हैं।

शिक्षकों की संख्या :-

1.4 रिपोर्टाधीन वर्ष में (1-8-1975 स्थिति अनुसार) हरियाणा राज्य में प्रबन्ध अनुसार कार्य करने वाले शिक्षकों की कुल संख्या इस प्रकार रही :-

(क) स्कूल स्तर पर

	पुरुष	महिलाएं	कुल
अराजकीय विद्यालयों में	2350	1971	4321
राजकीय विद्यालयों में	31467	12793	44260
योग :	33817	14764	48581

(ख) उच्च शिक्षा स्तर :–

	पुरुष	महिलाएं	कुल
अराजकीय संस्थाएं	1729	542	2271
राजकीय संस्थाएं	657	197	854
विश्वविद्यालय तथा अन्य	226	16	242
योग	2612	755	3367

शिक्षा पर हुआ व्यय :

1,5 शिक्षा विभाग का वर्ष 1975-76 का कुल वजट व खर्चा (संशोधित अनुमान)

(क) प्रत्यक्ष व्यय :

(राशि लाखों में)

मद्द	योजनेतर	योजना	कुल
1. उच्च शिक्षा (कालिज शिक्षा)	220.82	92.41	313.23
2. माध्यमिक शिक्षा	1270.48	43.36	1313.84
3. प्राथमिक शिक्षा	1294.16	119.69	1413.85
4. विशेष शिक्षा	4.68	0.69	5.37
5. विविध	94.05	20.68	114.73
योग :	2884.19	276.83	3161.02

परीक्षा व्यय :

6.	छात्रवृत्ति/वजीफे तथा अनुदान हरिजन विद्यार्थियों के लिए	56.17	21.30	77.47
7.	निर्देशन	39.53	0.22	39.75
8.	इन्सपैक्शन	61.52	8.76	70.28
	जोड़ (परीक्षा व्यय)	157.22	30.28	187.50
	कुल जोड़	3041.41	307.11	3348.52

महाविद्यालय शिक्षा :

1.6 रिपोर्टाधीन वर्ष में राज्य में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया परन्तु 6 अराजकीय महाविद्यालय स्थापित हुए हैं। इनमें 2 सामान्य शिक्षा के तथा 4 शिक्षक प्रशिक्षण के महाविद्यालय बी0एन0सी0 विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र से सम्बद्ध हैं। इस वर्ष इस विश्वविद्यालय को 139.10 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

जिला स्तर पर प्रशासन :

1.7 जिला स्तर की स्थापना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जिला में स्थित सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का प्रशासनिक तथा शैक्षणिक नियन्त्रण जिला शिक्षा अधिकारियों के पास रहा है।

भाषाई अल्प संख्यकों को विशेष सुविधा :–

1.8 भाषाई अल्प संख्यकों को विद्यालयों में अपनी भाषा के अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा दे रखी है। यदि किसी कक्षा में कम से कम 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी वह भाषा पढ़ने की इच्छा रखते हों।

हरियाणा राज्य के मृतक कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना :–

1.9 हरियाणा सरकार अपने राज्य के मृतक कर्मचारियों जिनकी मृत्यु

सेवाकाल में 1-1-1970 के पश्चात् हुई हो, के बच्चों को बी0ए0/ बी0एस0सी0 स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। यह सुविधा केवल टयूशन फीस तथा प्रयोगशाला फीस में दी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत राजकीय स्कूलों/कालिजों में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों से तो फीस ली ही नहीं जाती, और जो ऐसे छात्र प्राईवेट स्कूलों/कालिजों में पढ़ते हैं, को जो फीस देते हैं, उनको शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। यह सुविधा उन छात्रों को भी उपलब्ध है जो केन्द्रीय प्रशासन क्षेत्र चण्डीगढ़ व पंजाब के स्कूलों/कालिजों में पढ़ते हैं।

स्कूलों का स्तर बढ़ाना :

1.10 वर्ष 1975-76 में निम्नलिखित स्कूलों का स्तर बढ़ा कर प्राईमरी से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च बनाया गया।

(क) प्राईमरी से माध्यमिक स्तर :

1. राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बाढ़सां (रोहतक)
2. राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला, जुलाना (जींद)

(ख) माध्यमिक से उच्च स्तर :

1.	राजकीय माध्यमिक पाठशाला, सागवल		(रोहतक)
2.	सम	चमारियां	(रोहतक
3.	सम	सांखोल	(रोहतक)
4.	सम	अरनौली	(रोहतक)

छात्र कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रों को अतिरिक्त विशेष सुविधाएं उपलब्ध करना:–

1.11. छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को नियंत्रित मूल्यों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का उपलब्ध करना :

जून 1975 से पहले राज्य में इस प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं था जिसके अन्तर्गत

छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को नियंत्रित मूल्यों तथा सस्ते दामों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध हो पाती। इस कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य के विद्यालयों/महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के अन्तर्गत शत-प्रतिशत छात्रावासों को निकटतम सहकारी उपभोक्ता स्टोरर्ज़ के साथ जोड़ दिया गया। राज्य में कुल 97 छात्रावास हैं जिनमें 33 छात्रावासों का संबंध विद्यालयों के साथ है और शेष 64 छात्रावास महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। इन छात्रावासों में रहने वाले सभी छात्रों को अब नियंत्रित मूल्यों पर सभी प्रकार की आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध की जाती रही हैं और राज्य के किसी भी कोने से किसी प्रकार की कठिनाई की शिकायत नहीं हुई।

यहां यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सभी छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए चीनी की दर प्रति मास प्रति छात्र 420 ग्राम से बढ़ाकर 750 ग्राम कर दी गई।

नियंत्रित मूल्यों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का उपलब्धि का दोहरा असर हुआ। एक तो छात्रावासों के अन्तर्गत चलने वाले भोजनालयों में भोजन की क्वालिटी श्रेष्ठ हो गई तथा दूसरे मैस बिल में भी स्वभाविक रूप से हर मास कमी होती गई। मैस बिल में 3 से 10 प्रतिशत कमी हो गई।

पाठ्य पुस्तकों की नियंत्रित मूल्यों पर सप्लाई :

1.12 हरियाणा राज्य में स्कूलों के स्तर की सभी पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है और नियंत्रित मूल्यों पर स्कूल स्तर की सभी पाठ्य पुस्तकों छात्रों को उपलब्ध हो रही हैं। 11-5-76 से विद्यालय स्तर की सभी पाठ्य-पुस्तक कें मूल्यों में 10 प्रतिशत तक की कमी की जाती रही है।

टिप्पणी :

पुस्तकों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए हरियाणा राज्य कागज़ वितरण समिति द्वारा सभी संबंधित एजैन्सीज़ को नियंत्रित मूल्यों पर सस्ता कागज़ उपलब्ध किया जाता है ताकि पाठ्य पुस्तकें सस्ते दामों पर छात्रों को मिल सकें। यह कगाज भारत सरकार से प्राप्त किया जाता है।

अप्रैल, 75 से मार्च 76 तक 1410 मीट्रिक टन कागज़ पाठ्य पुस्तकों की छपाई के लिए वितरित किया गया था।

1.13 सस्ते दामों पर अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध करना :

राज्य में 116 महाविद्यालय हैं और 7036 विद्यालय। इन सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र में हो या नागरिक क्षेत्र में, सस्ते दामों की अभ्यास-पुस्तिकाएं स्कूल में विधार्थी स्टोरज से ही नियंत्रित मूल्यों पर उपलब्ध की जाती रही हैं। इस समय केवल 2 प्रकार की अज्यास-पुस्तिकाएं ही राज्य भर उपलब्ध हैं किन्तु 1-1-76 से भारत सरकार की नई नीति लागू हुई जिसको हरियाणा राज्य में शत-प्रतिशत रूप से अपनाने का निर्णय किया गया और 1-4-76 से राज्य के सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को 14 प्रकार की विविध अभ्यास-पुस्तिकाएं उपलब्ध करनी थी। इन अभ्यास-पुस्तिकाओं की मूल्य शृंखला 25 पैसे से 1.50 पैसे तक रखी गई। अभ्यास-पुस्तिकाओं के अतिरिक्त छात्रों को गृह परीक्षा के लिए नियंत्रित मूल्यों पर उत्तर-पुस्तिकाएं तथा लूज़ शीटस भी हरियाणा हरिजन कल्याण निगम के माध्यम से उपलब्ध की गई। अभ्यास-पुस्तकाओं के निर्माण का कार्य सम्पन्न करने के लिए राज्य में 10 स्वीकृत अभ्यास-पुस्तिका निर्माता कार्य करते रहे और गृह परीक्षा के लिए उत्तर-पुस्तिकाएं तथा लूज़ शीटस का निर्माण कार्य हरियाणा हरिजन कल्याण निगम द्वारा सम्पन्न किया गया।

अभ्यास-पुस्तिकाएं, उत्तर-पुस्तिकाएं तथा लूज़ शीटस के निर्मांण के लिए नियंत्रित मूल्यों पर हरियाणा राज्य स्तरीय कागज वितरण समिति द्वारा 1638 मीट्रिक टन कागज की वांट की जा चुकी है।

वंचित वर्ग के बच्चों को मुफत पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करना :

1.14 राज्य के सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों में पढ़ने वाले हरिजन, पिछड़ी जाति तथा वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त पाठय पुस्तकें उपलब्ध करने के लिए बुक बैंकस की स्थापना की जा चुकी है। रिपोर्टाधीन वर्ष में बुक बैंकस स्थापित करने के लिए 9.50 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं जिससे 1,65,902 विद्यार्थियों को लाभ मिल चुका है।

राज्य में 116 महाविद्यालयों में से 59 महाविद्यालयों में बुक बैंकस स्थापित किए जा चुके हैं। महाविद्यालयों में बुक बैंकस की स्थापना के लिए धन की व्यवस्था

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की जाती है। महाविद्यालयों द्वारा बुक बैंकस की स्थापना के लिए 410802 रुपये की यू0जी0सी0 ग्रांटस का उपयोग किया जा चुका है।

सस्ते दामों पर बिजली की उपलब्धि :

1.15 हरियाणा राज्य में कुल 97 छात्रावास हैं जिनमें पढ़ने वाले सभी छात्रों को सस्ते दामों पर बिजली की सप्लाई हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा की जाती है। व्यापारी दरों की बजाए घरेलू दरों पर छात्रावासों में बिजली की सप्लाई करने की सुविधा अक्तूबर, 1975 से छात्रों को प्राप्त होती रही है।

" अध्याय दूसरा "

"शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन '

2.1 वर्ष 1975-76 में श्री माड़ू सिंह मलिक, शिक्षा मंत्री के पद पर और श्रीमति प्रसन्नी देवी, राज्य शिक्षा मंत्री के पद पर आरुढ़ रहे।

(क) सचिवालय :

रिर्पोर्टाधीन अवधि में शिक्षायुक्त एवं सचिव के पद पर कार्यभार श्री बी:एस: ओझा, आई:ए:एस: के पास रहा। कार्य में उनकी सहायता उस सचिव (शिक्षा) तथा अवर सचिव (शिक्षा) के पदों पर नियुक्त आई0ए0एस0 और एच0एस0एस0 अधिकारियों ने की।

(ख) निर्देशालय स्तर :

रिर्पोटाधीन वर्ष में श्री ए0सी0 अग्रवाल, आई0ए0एस0 1-9-75 तक निदेशक शिक्षा के पद पर रहे और 9-10-75 से श्री एल0एम0 गोयल, आई0ए0एस0 ने निदेशक, शिक्षा विभाग का कार्य भार संभाला। निदेशालय स्तर पर नियुक्त निम्नलिखित अन्य अधिकारियों ने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए सहयोग दिया :

		संख्या
1.	संयुक्त निदेशक (प्रशासन) आई0ए0एस0 (अंशकालिक)	1
2.	संयुक्त निदेशक (शिक्षा) एच0ई0ए0स0	1
3.	उप निदेशक (विद्यालय) एच0ई0एस0 उप निदेशक (योजना) एच0ई0ए0स0 उप निदेशक (महाविद्यालय) एच0ई0एस0	3
4.	अध्यक्ष, अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा	1
5.	प्रशासन अधिकारी, एच0ए0स0एस0	1

6.	सहायक निदेशक (परीक्षा) एच0ई0एस0 सहायक निदेशक (आंकड़ा) एच0ई0एस0 सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति) एच0ई0एस0 सहायक निदेशक (पुस्तक) एच0ई0एस0 सहायक निदेशक (अध्यापक प्रशिक्षण) एच0ई0एस0 सहायक निदेशक (कैडेट कोर) एच.ई.एस. सहायक निदेशक (अध्यापक स्थापना) एच0ई0एस0 सहायक निदेशक (निर्माण) एच0ई0एस0	8
5.	लेखा अधिकारी—I लेखा अधिकारी—II बजट अधिकारी	3
8.	रजिस्ट्रार शिक्षा	1

हरिजन विद्यार्थियों की समस्याओं इत्यादि के मामलों को निपटाने के लिए भी निदेशालय में एक कोष्ट की स्थापना की गई जिसके लिए एक सहायक तथा एक लिपिक स्वीकृत किए गए।

जिला प्रशासन :

2.2 राज्य के प्रत्येक ज़िला के प्रशासन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व ज़िला शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने ज़िलों में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। उपमंडलों में शिक्षा संस्थाओं का नियंत्रण तथा प्रशासन उपमंडल शिक्षा अधिकारियों के पास है।

सरकार द्वारा वर्ष 1975-76 में नया ग्यारहवा ज़िला—सिरसा के बनाए जाने के फलस्वरूप वहां पर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई। इसके लिए निम्नलिखित अमला स्वीकृत किया गया।

1.	जिला शिक्षा अधिकारी	1
2.	उप जिला शिक्षा अधिकारी	1
3.	अधीक्षक	1
4.	मुख्य लिपिक	1
5.	वरिष्ठ आडीटर	1
6.	कनिष्ठ आडीटर	1
7.	लिपिक	4
8.	स्टैनो-टाईपिस्ट	1
9.	ड्राईवर	1
10.	चपड़ासी	4
11.	दफतरी	1

विद्यालयों में शरीरिक शिक्षा के विकास तथा निरीक्षण के लिए 7 पुराने ज़िलों में एक-एक सहायक जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक) नियुक्त है।

माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी रूचियों के अनुसार भविष्य में व्यवसाय आदि के चुनाव में मार्गदर्शन के लिए जिला स्तर पर एक-एक सहायक मार्गदर्शन परामर्शदाता की नियुक्ति की हुई है जो कि विद्यालयों में जा कर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने में सहायता देता है।

31-3-76 को स्थिति अनुसार निदेशालय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा परिशिष्ट 'क' में दिया गया है। ज़िला तथा उप मण्डल स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। श्रेणी प्रथम तथा द्वितीय के कुल पदों की सूची परिशिष्ट 'ग' पर दी गई है।

खांडस्तर :

2.3. राज्य में स्थित 5149 प्राथमिक विद्यालयों को निरीक्षण तथा प्रशासन सुविधा के लिए 117 शिक्षा खंडों में बांटा गया है। खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने खंड में स्थिति प्राथमिक विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी थे।

राजकीय विद्यालय :

2.4 राजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने अपने विद्यालयों के सुचारु प्रशासन, प्रबन्ध तथा शिक्षण के कार्य के लिए सम्बन्धित उप मण्डल तथा जिला शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायी है।

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन अपनी स्थानीय प्रबन्धक समितियों द्वारा चलाया जाता है। इन सभी विद्यालयों में भी विभाग की नीति अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। यह विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं तथा शिक्षा विभाग इन विद्यालयों को चलाने के लिए हर वर्ष वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में देता है। इन सभी विद्यालयों में अध्यापन का कार्य का निरीक्षण जिला/उप मंडल अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय :

2.5 राजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य प्रत्यक्ष रूप में सुचारू प्रशासन के लिए निदेशक शिक्षा को उत्तरदायी है अराजकीय महाविद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्धक समितियां ही चलाती हैं। राज्य में स्थित सभी महाविद्यालय अपने सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की शिक्षा नीति को अपनाते हैं।

"अध्याय तीसरा"

"विद्यालय शिक्षा"

3.1 राष्ट्र का विकास शिक्षा के विकास पर ही निर्भर है। मानव का शिक्षित होना विकास की सब से बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षित नर नारी ही देश में सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्रान्ति ला सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में पिछले 10 वर्षों में हर स्तर पर शिक्षा के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है जिसके फलस्वरूप शिक्षा सुविधाओं के विस्तार में उलेखनीय वृद्धि हुई है।

शिक्षा सुविधाओं का विकास :–

3.2 वर्ष 1975–76 में सरकार ने 2 प्राथमिक स्कूलों का स्तर बढ़ाकर मिडल तथा चार मिडल स्कूलों का स्तर बढाकर उच्च किया है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में कुछ मिडल स्कूलों का स्तर बढा कर उच्च किया गया है।

1.8.75 को हरियाणा में अराजकीय तथा राजकीय विदयालयों की संख्या निम्नलिखित थी :—

संख्या प्रकार	राजकीय	अराजकीय	कुल
1. पूर्व प्राथमिक विदयालय	742	–	7
2. प्राथमिक विदयालय	5068	81	5149
3. माध्यमिक विद्यालय	742	16	758
4. उच्च/उच्चतर माध्यमिक विदयालय	907	222	1129

बालवाड़ियों की स्थापना :–

3.3 समाज की पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों के 3–6 वर्ष के बच्चों को देख रेख एवं उन्हें शिक्षा सुविधा उपलब्ध

करने के लिए 10 बालवाड़ी केन्द्रों की जिला सोनीपत तथा भिवानी में स्थापना की गई है । इन बालवाड़ियों के लिए 10 बाल सेविकाएं, 10 हेलपर के पदों के सर्जन करने के अतिरिक्त खेल कूद का सामान, मानचित्र, चार्ट इत्यादि भी उपलब्ध किए गए ।

छात्र संख्या :–

3.4 प्रत्येक वर्ष की भांति वर्ष 1975–76 में भी शिक्षा के हर स्तर पर छात्र संख्या में विशेष वृद्धि हुई । इस वर्ष प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में 0.33 लाख की वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप इस स्तर पर पढ़ने वाले 6–11 आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत अनुपात पिछले वर्ष के 69.3 प्रतिशत से बढ कर 70.5 प्रतिशत हो गया है। परन्तु फिर भी हरियाणा समस्त भारत के औसत प्रतिशत अनुपात से अभी पीछे है । इस वर्ष में माध्यमिक और उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक के स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में भी विशष वृद्धि हुई है। 11–14 तथा 14–17 वर्ष के आयु वर्ग में पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात पिछले वर्ष के अनुपात 44.8 तथा 24.5 प्रतिशत से बढ़कर इस वर्ष क्रमश: 45.2 तथा 26.0 प्रतिशत हो गया है जो कि समस्त भारत के औसत अनुपात से काफी अधिक है।

रिपोर्टाधीन वर्ष 1975–76 में भिन्न भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है :–

शिक्षा का स्तर	लड़के	लड़कियां (संख्या लाखों में)	कुल
प्राथमिक स्तर	7.52	3.52	11.04
माध्यमिक स्तर	2.90	.0.92	3.82
उच्च उच्चतर माध्यमिक स्तर	1.52	0.44	1.96

अध्यापक

3.5 केंद्रीय प्रयोजित स्कीम 'हाफ ए मिलियन जाब्स कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1973–74 में नियुक्त किए गए 2800 जे0बी0टी0 अध्यापकों तथा 600 मास्टरों के पदों को वर्ष 1975–76 के लिए बनाए रखा । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित नए पद स्वीकृत किये गए :–

1.	मुख्याध्यापक	5
2.	मास्टर	14
3.	जे0बी0टी0, सी0 एण्ड वी0, पी0टी0 आई अध्यापक	8
4.	लिपिक	5
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	11

अगस्त, 1975 में हरियाणा में शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तर पर शिक्षकों की संख्या निम्नलिखित थी :

संख्या	अध्यापकों की संख्या	
	1974–75	1975–76
प्राथमिक स्तर	26838	27604
मध्यमिक स्तर	11433	11752
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	9000	9225
	47271	48581

हरियाणा में अधिकतर अध्यापक प्रशिक्षित हैं। 48581 में से केवल 1.31 प्रतिशत ऐसे अध्यापक हैं जो प्रशिक्षित नहीं हैं। उपरोक्त 48581 अध्यापकों में से 44260 अध्यापक राजकीय विद्यालयों में और 4321 अध्यापक केवल अराजकीय विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

अध्यापक छात्र अनुपात :

3.6 प्राथमिक कक्षाओं में नए पदों के सृजन के लिये अध्यापक छात्र अनुपात 1:45 रखा गया।

रिपोर्टाधीन वर्ष में भिन्न स्तर के स्कूलों में अध्यापक छात्र अनुपात इस प्रकार रहा :

प्राथमिक विद्यालय	1:39
माध्यमिक विद्यालय	1:33
उच्च।उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1:21

आदर्श स्कूल :

3.7 हरियाणा राज्य में इस समय केवल निम्नलिखित तीन आदर्श स्कूल हैं। वर्ष 1975-76 में कोई नया आदर्श स्कूल नहीं खोला गया।

1. एम0एस0 जैन माडल स्कूल, अम्बाला शहर
2. सीनियर माडल स्कूल फतेहाबाद (हिसार)
3. सीनियर माडल स्कूल, कुरुक्षेत्र

इन विद्यालयों में अन्य विद्यालयों की अपेक्षा फीसों की दर अधिक है। ऐसी संस्थाओं की फीसों इत्यादि की आय से ही सुगमता से चलाया जा सकता है। इसलिये ऐसे विद्यालयों को सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता।

दोहरी पारी प्रणाली :

3.8 विद्यालय भवनों की कमी के कारण कुछ विद्यालयों में जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से दोहरी पारी चलती रही है।

सहशिक्षा की नीति :

3.9 राज्य के कुछ प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर लगभग सभी प्राथमिक विद्यालयों में सहशिक्षा की अनुमति दी हुई है।

ऐसे स्थानों पर जहां लड़कियों के लिये अलग माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय नहीं हैं वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध की हुई है।

पाठ्य पुस्तक सैल की स्थापना :

3.10 स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने, छपवाने और समीक्षा इत्यादि के लिये राज्य शिक्षा संस्थान, गुड़गांव तथा निदेशालय में इस कार्यक्रम की देख रेख के लिये निम्नलिखित स्टाफ स्वीकृत किया गया:

1. विषय विशेषज्ञ	3
2. अनुसंधान सहायक	2
3. सम्पादक	1
4. प्रूफ रीडर	2
5. आरटिस्ट	1
6. स्टेनो टाईपिस्ट	1
7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4

तेलगू भाषा की शिक्षा :

3.11 हरियाणा राज्य की ओर से वर्ष 1975-76 में तेलगू भाषा की पढ़ाई के प्रशिक्षण के लिये 20 अध्यापकों को भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में भेजा गया। इस समय तेलगू भाषा की शिक्षा की सुविधाएं राज्य में 52 स्कूलों में उपलब्ध हैं।

शिक्षा विभाग में उड़नदस्ता की स्थापना :–

3.12 हरियाणा में शिक्षा स्तर में सुधार लाने तथा स्कूलों पर निरीक्षण कड़ा करने के विचार से निदेशालय स्तर पर एक उड़न दस्ते की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य इस प्रकार है :—

(1) स्कूलों/शिक्षा कार्यालयों में हाजरी रजिस्टर चैक करना।

(2) अध्यापकों की दैनिक डायरी चैक करना।

(3) कोई विशेष शिकायत जो ग्राम निवासियों से प्राप्त हो उसकी जांच करना।

(4) सस्ते दामों की अभ्यास पुस्तिकाओं के वितरण प्रणाली की जांच करना।

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान :–

3.13 अराजकीय विद्यालयों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा वर्ष 1975-76 में इन विद्यालयों को 13.87 लाख का अनुरक्षण अनुदान तथा 41.72 लाख रुपये कुठारी कमीशन अनुदान के अन्तर्गत दिए गये।

भाषा नीति और भाषाई अल्प संख्यक :–

3.14 हरियाणा एक भाषी राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। उच्चतथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है।

विद्यालयों में छठी कक्षा में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। विद्यालयों में राष्ट्र एवं भावात्मक एकता लाने के लिए तीसरी भाषा के रूप में दक्षिण भारत की भाषा तेलगू की शिक्षा 52 विद्यालयों में सातवीं और आठवीं कक्षाओं में उपलब्ध की गई है। सातवीं और आठवीं श्रेणियों में पंजाबी, उर्दू और संस्कृत तथा तेलगू में विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकता है।

हरियाणा में भाषाई अल्प संख्यकों के हित के लिए उन्हें अपनी भाषा के अध्ययन करने का भी हरियाणा सरकार ने विशेष अधिकार दे रखा है। यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी हो तो यह अपनीभाषा को राज्य भाषा के अतिरिक्त एक विशेष भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरकार उनको उस विषय में शिक्षा लेने के लिए सुविधा प्रदान करती है। उन 19 अराजकीय विद्यालयों को, जिन में हरियाणा बनने के समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी था, पंजाबी माध्यम को आगे जारी रखने के लिए सरकार ने विशेष अनुमति दी हुई है।

संस्कृत भाषा का विकास :–

3.15 संस्कृत भाषा का स्थान हरियाणा में तीसरी भाषा के रूप में है। स्कूलों में संस्कृत भाषा की शिक्षा सातवीं कक्षा से दी जाती है।

सरकार ने भिवानी में स्थित हरियाणा सेखावती ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रबंध 1-4-1976 से अपने अधिकार में लेने तथा आश्रम के स्थान पर संस्कृत कालिज की स्थापना भिवानी में करने का निर्णय लिया।

हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड :

3.16 हरियाणा शिक्षा बोर्ड शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक श्रेणियों के लिए पाठ्यक्रम नियत करता है और पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों का अनुमोदन किया जाता है ताकि विद्यार्थियों को निश्चित सस्ती कीमत पर पुस्तकें प्राप्त हो सकें। विद्यार्थियों की उच्च/उच्चतर. माध्यमिक स्तर की परीक्षा शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती है। सरकार के निर्णय अनुसार आठवीं की परीक्षा भी इस वर्ष से हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने लगी।

अराजकीय विद्यालयों को स्थाई मान्यता :

3.17. वर्ष 1975-76 में निम्नलिखित 5 उच्च विद्यालयों को स्थाई

मान्यता तथा 7 विद्यालयों को प्रोविजनल मान्यता प्रदान की गई है :

जिनको अस्थाई मान्यता दी गई :

1. विद्या गर्ल्ज हाई स्कूल, गुड़गावां।

2. दयानन्द हाई स्कूल, फिरोजपुर झिरका।

3. आदर्श हाई स्कूल, हलालपुर (सोनीपत)।

4. श्री नरसिंग दास सनातन धर्म रघुकुल हाई स्कूल, सेगती (अम्बाला)।

5. ए स0 डी0 हाई स्कूल, नरवाना।

जिनको अस्थाई मान्यता दी गई:

1. श्रीचंद पब्लिक मैमोरियल हाई स्कूल, सांपला (रोहतक)।

2. एस0 ए0 जैन माडल स्कूल, अम्बाला शहर।

3. एस0 एम0 गीता गर्ल्ज हाई स्कूल, कुरुक्षेत्र।

4. सतीश पब्लिक हाई स्कूल, रिवाड़ी।

5. सैनी गर्ल्ज हाई स्कूल, रोहतक।

6. वैश हाई स्कूल, मंडी बहादुरगढ़ :

7. जनता हाई स्कूल, मुस्तफाबाद (अम्बाला)।

नई शिक्षा पद्धति :

3.18 शिक्षा के नए ढांचे (10+2+3) को हरियाणा राज्य में लागू करने के सम्बन्ध में एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाई गई और सिद्धान्त रूप में यह मान लिया गया कि इस ढांचे को प्रावस्था (Phased) के रूप में कार्यान्वित किया जाए। इस निर्णय के अनुसार सभी हाई तथा हायर सैकेण्डरी स्कूलों

में अप्रैल, 1976 में नौवीं कक्षा में दाखला लेने वालों छात्रों के लिए गणित तथा विज्ञान को अनिवार्य घोषित कर दिया गया। कन्याओं के लिए इन विषयों को हाई कक्षाओं में 2 वर्ष तक छूट प्रदान की गई जिसके पश्चात् ये दोनों विषय उनके लिए भी अनिवार्य कर दिए जायेंगे। छठीं तथा सातवीं कक्षाओं में यह विषय लड़कियों के लिए भी अनिवार्य कर दिए गए हैं।

"अध्याय चौथा"

'महाविद्यालय शिक्षा'

महाविद्यालयों की संख्या :–

4.1 वर्ष 1975-76 में अराजकीय क्षेत्र में निम्नलिखित महाविद्यालय स्थापित हुए :

1. गौड़ ब्राह्मण शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक
2. संत निरंकारी लोक प्रिय महाविद्यालय, सोहना
3. इन्द्रा गांधी नैशनल महाविद्यालय, लाड़वा
4. टिक्का राम शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत
5. इन्द्रा कन्या शिक्षा महाविद्यालय, गोहाना
6. सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, चरखी दादरी

इस वर्ष 6 नए महाविद्यालयों के खुलने के कारण राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 116 हो गई है जिसमें 19 शिक्षा महाविद्यालय और 97 सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय है।

राज्य में प्रबन्ध अनुसार महाविद्यालयों की संख्या इस प्रकार है :

राज्य सरकार द्वारा	प्राईवेट बाड़ीज द्वारा	विश्वविद्यालय द्वारा	कुल
14	99	3	116

राजकीय महाविद्यालयों में नए विषय :

4.2 वर्ष 1975-76 में निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों में कुछ

नए विषयों के अध्यापन की सुविधा भी उपलब्ध की गई :

विषय	महाविद्यालय
1. संगीत वाद्य तथा गायन	राजकीयमहाविद्यालय कालका
2. लोक प्रबन्ध तथा वाणिज्य	सम गुड़गांव
3. संगीत (वोकल)	सम नारनौल
4. सचिवालय प्रशिक्षण	सम फरीदाबाद सम भिवानी सम (सांय शिफ्ट)
5. फ्रेंच	नेकी राम राजकीयमहाविद्यालय, रोहतक
6. जर्मन तथा बी0 फारमेसी	राजकीयमहाविद्यालय रोहतक

राजकीय महाविद्यालयों में पद सृजन :

4.3 रिपोर्टाधीन वर्ष में नए विषय चालू करने के कारण राजकीय महाविद्यालय में निम्नलिखित पदों का सृजन किया गया :

1. प्राध्यापक	6
2. तबला वादक	3
3. टाईप राईटिंग इन्स्ट्रक्टर	3
4. टाईपिंग तथा आशुलिपिक इन्स्ट्रक्टर	2

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अध्यापकों के वेतमान :

4.4 हरियाणा सरकार ने विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रध्यापकों के वेतनमान 1-1-1973 से संशोधित करने का निर्णय किया है।

नए वेतनमान का ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) विश्वविद्यालय :

अध्यापक का पद	वर्तमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान
1. प्राध्यापक	400-40-800-50-950	700-40-1100-50-1600
2. रीडर	700-50-1250	1200-50-1300-60-1900
3. प्रोफैसर (जूनियर ग्रेड)	1100-50-1300-60-1600	1500-60-1800-100-2000-125/2-2500
4. प्रोफैसर (सिनियर ग्रेड)	1600-100-1800	1500-60-1800-100-2000-125/2-2500
5. प्रोफैसर ग्राफ एमीन्नस		3000/- (फिक्सड़)
6. प्राधानाचार्य (विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय)	700-40-980-EB-40-1100-EB-1200	1200-50-1300-60-1540/60-1900

(ख) पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय :

डिमानस्ट्रेटर/टयूटर	250-400	500-20-700-EB-25-900 केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए
प्राध्यापक (जूनियर ग्रेड)	300-600	700-40-1100-EB 50-1300 असैसमेंट-50-1600

प्राध्यापक (सीनियर ग्रेड)	400-800	सम
प्राध्यापक (सिलैक्शन ग्रेड)	700-1100	सम
प्रधानाचार्य (राजकीयमहा-विद्यालय)	700-1200	1200-50-1300-60-1540/60-1900
प्रधानाचार्य (प्राईवेट महाविद्यालय)	700-1100	सम
उप निदेशक (महाविद्यालय)	700-1200	1200-50-1300-60-1540/60-1900

ङ

निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान, गुड़गावां	सम	सम
निदेशक राज्य विज्ञान संस्थान, गुड़गावां	सम	सम
उप निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान, गुड़गावां	सम	सम

4.5 रिर्पोटाधीन वर्ष में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को निम्नलिखित राशि सहायता/विकास अनुदान के रूप में दी गई :—

	(रुपये लाखों में)
1. बी0एन0सी0 विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	139.10
2. रोहतक विश्वविद्यालय, रोहतक	2.17
3. अराजकीय महाविद्यालय	42.76

बी:एन: सी: विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र :

4.6 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का नाम बदल कर स्वर्गीय राज्यपाल श्री वीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती के नाम पर रखा गया । राज्य के सभी 116 महा-

विद्यालय इसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहे। जून 1976 से रोहतक में एक दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया। रोहतक के 16 किलोमीटर के घेरे के अन्दर अन्दर स्थित सभी महाविद्यालय रोहतक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिये जाएंगे।

4.7 वर्ष 1975-76 में राजकीय महाविद्यालयों में फीसों की दर में कोई तबदीली नहीं हुई।

रिर्पोटाधीन वर्ष में राज्य में 81647 छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। संस्था अनुसार छात्रों की संख्या इस प्रकार है:—

संस्था का प्रकार	छात्रों की संख्या		
	लड़के	लड़कियां	कुल
1. राजकीयमहाविद्यालय	11539	3347	14886
2. अराजकीय महाविद्यालय	44503	15312	59815
3. विश्वविद्यालय तथा उस से संबंधित महाविद्यालय	4731	1413	6144
4. जे0बी0टी0 संस्थाएं	325	477	802
	61098	20549	81647

"अध्याय पांचवा "

'शिक्षक शिक्षण '

5.1 राज्य में शिक्षा का स्तर व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ही आश्रित है। एक अध्यापक तभी अपने अध्यापन कार्य में निपुण माना जा सकता है यदि वह अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे अनुसन्धानों और प्रयोगों से परिचित रखे। व्यावसायिक दक्षता के लिए शिक्षकों को दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है :

1. सेवा काल से पूर्व
2. सेवाकालीन (सेवा अवधि के दौरान)

सेवाकाल से पूर्व का प्रशिक्षण व्यक्ति को अपने व्यावसायिक जीवन के लिए निर्मित करता है। सेवा कालीन प्रशिक्षण से अध्यापक को नवीनतम शैक्षणिक रीति, सिद्धान्त और शिक्षा प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है।

सेवा काल से पूर्व का प्रशिक्षण :

5.2 वर्ष 1975-76 में भिन्न भिन्न वर्गों के अध्यापकों के लिए राज्य में निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की कक्षाएं चालू रहीं :

1. एम0एड0 प्रशिक्षण
2. बी0एड0 प्रशिक्षण
3. जे0बी0टी0 प्रशिक्षण
4. नर्सरी प्रशिक्षण

एम:एड:कक्षाएं :

5.3 राज्य में एम0एड शिक्षा की कक्षाएं केवल आर0वी0एस0 शिक्षा

महाविद्यालय, रिवाड़ी और बी0ए न0सी0 विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं। इन दोनों संस्थाओं में वर्ष 1975-76 में 22 लड़के तथा 14 लड़कियों ने एम0एड0 प्रशिक्षण में प्रवेश प्राप्त किया।

बी:एड: की सुविधाएं :

5.4 वर्ष 1975-76 में माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर कक्षाओं के लिए अध्यापक प्रशिक्षण की कक्षाएं राज्य के 19 शिक्षा महाविद्यालयों में चालू रही इन महाविद्यालयों में 1555 लड़के तथा 1761 लड़कियों ने प्रवेश प्राप्त किया।

जे0बी0टी0 कक्षाएं :

5.5 जे0बी0टी0 प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु लगभग 800 लड़के/लड़कियों ने निम्नलिखित 10 जे0बी0टी0 प्रशिक्षण संस्थाओं में रिपोर्टाधीन वर्ष 1975-76 में प्रवेश प्राप्त किया :

1. राजकीय जे0बी0टी0 स्कूल, नारायणगढ़	(अम्बाला)
2. राजकीय जे0बीटी0 स्कूल, छछरौली	(अम्बाला)
3. राजकीय जे0बी0टी0 स्कूल, कुरुक्षेत्र	(कुरुक्षेत्र)
4. राजकीय जे0बी0टी0 स्कूल, खुगांकोठी	(जींद)
5. राजकीय जे0बी0टी0 स्कूल, नाहरा	(सोनीपत)
6. राजकीय जे0बी0टी0 स्कूल, दुजाना	(रोहतक)
7. राजकीय जे0बी0टी0 स्कूल, फरीदाबाद	(गुड़गांव)
8. राजकीय जे0बी0टी0 स्कूल, कंवाली	(महेन्द्रगढ़)
9. राजकीय जे0बी0टी0 स्कूल, पाबड़ा	(हिसार)
10. राजकीय जे0बी0टी0 स्कूल, जुई खुर्द	(भिवानी)

5.6. वर्ष 1975-76 में ओ0टी0 प्रशिक्षण बंद रहा।

नर्सरी प्रशिक्षण की कक्षाएं :

5.7 रिपोर्टाधीन वर्ष में नर्सरी प्रशिक्षण कक्षाएं केवल निम्नलिखित अराजकीय संस्थाओं में चालू रहीं :

1. डी0ए0वी0 कन्या प्रशिक्षण महाविद्यालय, करनाल (40 सीटें)
2. सोहन लाल प्रशिक्षण महाविद्यालय, अम्बाला (40 सीटें)
3. राव लाल सिंह शिक्षा परिषद्, सिधरौली (गुड़गांव) (40 सीटें)
4. छोटू राम शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक (40 सीटें)
5. सतीश पब्लिक शिक्षा महाविद्यालय, रिवाड़ी (40 सीटें)
6. छज्जू राम शिक्षा महाविद्यालय, हिसार (80 सीटें)
7. भारतीय पब्लिक ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, अम्बाला छावनी (60 सीटें)
8. भगत फूल कन्या शिक्षा महाविद्यालय, खानपुर कलां (सोनीपत) (50 सीटें)

सेवाकालीन प्रशिक्षण :

5.8 गत वर्ष की भांति वर्ष 1975-76 में भी सेवाकालीन प्रशिक्षण चालू रखा गया। इस वर्ष 1200 स्नातक अध्यापकों को 12 प्रशिक्षण केन्द्रों में 20 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें गणित, फिजिक्स, कैमिस्ट्री, हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल संस्कृत तथा समाजिक अध्ययन विषयों के अध्यापकों ने भाग लिया।

इसी प्रकार 5000 प्राथमिक श्रेणियों के अध्यापकों (जे0बी0टी0) को 100 प्रशिक्षण केन्द्रों में सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया। इस सारी योजना पर 10.51 लाख रुपए की राशि खर्च हुई।

"अध्याय छटा "

'समाज शिक्षा '

6.1 शिक्षा के विकास के कारण हरियाणा में साक्षरता भी बढ़ी है। राज्य में निरक्षरों को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई जा रही हैं :—

1. समाज शिक्षा केन्द्र
2. किसान साक्षरता योजना
3. ग्राम शिक्षा मुहिम
4. अनौपचारिक शिक्षा प्रोग्राम (6–11 तथा 14–17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए)
5. अनौपचारिक शिक्षा प्रोग्राम (15–25 आयु वर्ग के लिए)
6. सरकारी तथा गैर सरकारी कालिजों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा के लिए गांव अडाप्ट करना।

समाज शिक्षा केन्द्र :–

6.2 यह शिक्षा केन्द्र अभी जिला जीन्द और महेन्द्रगढ़ में ही चल रहे हैं। इन जिलों के चुने हुये गांवों में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य किया जाता है। इन गांवों में चलते फिरते शिक्षा स्क्वैड लोगों को शिक्षित करते हैं। एक स्कवैड में लगभग 29 अध्यापक होते हैं। इन केन्द्रों के निरीक्षण का कार्य दो अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी को अपने कार्य के लिये उत्तरदायी है। इन केन्द्रों में साधारणतः निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जाते हैं:-

1. शिक्षा तथा कार्य प्रशिक्षण

2. खेलकूद तथा अन्य विनोद क्रियाएं इत्यादि ।

3. समाज सेवा

4. चर्चा तथा प्रवचन।

महिलाओं के केन्द्रों में पढ़ने लिखने के अतिरिक्त घरेलू लाभदायक शिल्पों का ज्ञान भी दिया जाता है। गृह कार्य में निपुणता के लिये पौष्टिक खुराक को तैयार करने की पूरी पूरी जानकारी दी जाती है। इस स्कीम के लिये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975-76 में 2,54,500।- रुपये की व्यवस्था की गई थी।

किसान साक्षरता योजना :

6.3 यह परियोजना वर्ष 1969-70 में आरम्भ की] गई थी। हरियाणा राज्य के पांच ज़िलों–रोहतक, हिसार, गुड़गांव, करनाल तथा अम्बाला में यह परियोजना चल रही है। इसके अन्तर्गत हर जिले में साठ केन्द्र खोले जाते हैं और हर केन्द्र में 30 प्रौढ़ों को शिक्षित करने की व्यवस्था है। इस प्रकार प्रत्येक ज़िले में 1800 प्रौढ़ों को साक्षर करने का प्रबन्ध है।

इस परियोजना के अनुसार ग्रामीण लोगों को पढ़ने लिखने के अतिरिक्त कृषि सम्बन्धी विशेष जानकारी भी दी जाती है। कृषि करने और उपज बढ़ाने के नए नए ढंग भी बताये जाते हैं।

परियोजना के कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिये हरियाणा सरकार ने एक एक परियोजना अधिकारी जिला अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार तथा गुड़गांव में 400-800 रु० के वेतनमान में लगाये हैं। भारत सरकार द्वारा भी 500 रुपये प्रति परियोजाना अधिकारी की दर से प्रतिपूर्ति की जाती है। अगस्त, 1974 से इन पदों पर परियोजना अधिकारियों ने कार्य आरम्भ कर दिया। यह सभी अधिकारी किसान साक्षरता योजना के कार्य को भली भांति चलाने के लिये सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों को उत्तरदायी हैं। इस स्कीम पर सारी राशि भारत सरकार व्यय करती है। वर्ष 1975-76 में भारत सरकार द्वारा 3,30,000 रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी।

ग्राम शिक्षा मुहिम (प्रौढ शिक्षा)

6.4 पहली जनवरी, 1975 से ग्राम शिक्षा मुहिम का यह कार्यक्रम अब जिला भिवानी कुरुक्षेत्र तथा सोनीपत में चलाया जा रहा है।

अध्यापक :

6.5 प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिये प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों सेवा निवृत्त अध्यापकों तथा अन्य उपयुक्त व्यक्तियों को लगाया जाता है और इस अतिरिक्त कार्य के लिये 40/- रुपये प्रति मास मानदेय के रूप में दिया जाता है।

प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में और विस्तार करने तथा इन सभी स्कीमों के कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने हेतु एक प्रौढ़ शिक्षा सैल की स्थापना की गई है जिसके लिए भारत सरकार ने तीन अधिकारियों के पद एक प्रथम श्रेणी में तथा दो अधिकारी द्वितीय श्रेणी के स्वीकृत किए हैं। यह अधिकारी प्रौढ़ शिक्षा स्कीम के अन्तर्गत चलने वाली सभी परियोजनाओं के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए उचित कार्यवाही करते हैं तथा क्षेत्र के कर्मचारियों को मार्गदर्शन भी देते हैं।

अनौपचारिक शिक्षा प्रोग्राम (6–11 तथा 14–17 आयुवर्ग के बच्चों के लिए)

6.6 6–11 तथा 14–17 आयुवर्ग के हरिजन (लड़के तथा लड़कियां) तथा सभी वर्गों की लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का प्रोग्राम वर्ष 1974-75 में कैथल, महेन्द्रगढ़, नारायणगढ़ तथा नरवाना–चार उपमंडलों में शुरु किया गया था। इन वर्गों के जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे, उनको दोबारा छटी कक्षा में दाखिला दिलाने के लिए अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत पांचवीं कक्षा की परीक्षा दिलाने का उद्देश्य था। इस काम के लिए गांव की पंचायतों द्वारा ऐसे योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त किया गया जो सरकारी सेवा में नहीं थे। हर ऐसे व्यक्ति को जो एक बच्चे को छः महीने के अन्दर अन्दर पांचवीं कक्षा की परीक्षा दिला सकता था, 150/- रुपये प्रति मास प्रति विद्यार्थी के अनुसार दिया जाता था।

वर्ष 1975-76 में यह योजना चार अन्य उपमंडलों फिरोजपुर झिरका, लोहारु, झज्झर तथा फतेहाबाद में चालू की गई। पिछले वर्ष के चार उपमंडलों में 14–17 आयु वर्ग के बच्चों को भी इस योजना के अधीन लेने का निर्णय लिया गया ताकि ऐसे बच्चों को एक वर्ष के अन्दर-अन्दर आठवीं कक्षा की परीक्षा दिलाकर उन्हें नौवीं कक्षा में दाखिला लेने के योग्य बनाया जाये। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए 3,50,000/- रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

15–25 आयुवर्ग के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम :

6.7 रिपोर्टाधीन अवधि में 15–25 आयुवर्ग के युवकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम राज्य के दो जिलों भिवानी तथा जींद में चलाया गया। एक जिले का वर्ष का सारा खर्च भारत सरकार देती है और दूसरे जिले का खर्च राज्य सरकार स्वयं करती है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि 15–25 आयुवग के पुरुष तथा स्त्रियो, जो या तो शिक्षा बिल्कुल ही प्राप्त नहीं कर सके या किसी समय स्कूल छोड़ गए उन्हें शिक्षा दी जाये ताकि वह अपने व्यवसाय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 6000 पुरुष तथा महिलाओं ने लाभ उठाया। भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए एक लाख रुपए की राशि तथा इतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई।

नव साक्षरों के लिए साहित्य रचना :

6.8 सभी प्रकार के अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार की योजना अनुसार एक विशेष प्रकार का साहित्य तैयार करने के लिए दिसम्बर, 75 में एक लेखक गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें 13 पुस्तकें तैयार की गई। अब यह पुस्तकें छप कर क्षेत्र में लागू हो चुकी है।

महाविद्यालयों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा के लिए गांव अडाप्ट करना :

6.9 जुलाई, 1975 में राजकीय तथा अराजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य की गोष्ठी में यह निर्णय लिया गया था कि अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए, प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा एक गांव अपनाया जाये।

"अध्याय सांतवा"

"महिला शिक्षा"

7.1 पिछले 9 वर्षों से स्त्री शिक्षा में विशेष प्रगति हुई है और इस प्रगति का क्रम रिर्पोटाधीन अवधि में भी बना रहा। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु रिपोर्टाधीन वर्ष में कई प्रकार की सुविधाएं पढ़ने वाली लड़कियों को उपलब्ध की गई ताकि अधिक संख्या में ग्रामीण तथा पिछड़े हुए शहरी क्षेत्रों में लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर सकें।

(क) पहली से आठवीं कक्षा तक सभी राजकीय विद्यालयों में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों से लड़कों की अपेक्षा टयूशन फीस कम ली जाती है। अराजकीय विद्यालयों में भी छटी से ग्यारहवीं कक्षा तक कन्याओं से फीस कम ली जाती है।

(ख) नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाली उन हरिजन लड़कियों को क्रमशः 20,25 और 30/- रुपये की दर से योग्यता छात्रवृत्ति भी दी जाती है, जो आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करती है। प्रत्येक कक्षा के लिए 50–50 छात्रवृतियां उपलब्ध हैं।

(ग) विधवाओं, पतियों से अलग रहने वाली, विवाह विच्छेद वाली स्त्रियों के लिए जे0बी0टी0/एल0टी0सी0/नर्सरी प्रशिक्षण कक्षाओं में कुछ स्थान आरक्षित भी रखे जाते हैं। ऐसी स्त्रियों को अधिकतम आयु में साधारणतः ढील दे दी जाती है। यह स्त्रियां 31 वर्ष की आयु तक प्रवेश प्राप्त कर सकती है, जबकि पुरुषों की अधिकतम आयु केवल 26 वर्ष है। उन मिलटरी पुरुषों, जो अयोग्य हो गए हों, या लड़ते लड़ते मारे गए हों, के आश्रितों के प्रवेश के लिए ऊपरी सीमा आयु 41 वर्ष है।

(घ) जिन स्थानों/गांवों में कन्याओं के लिए अलग स्कूल नहीं है, वहां पर कन्याओं को लड़को के स्कूलों में प्रवेश प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है।

7.2 सरकार के इस प्रयत्न के फलस्वरुप राज्य में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। गत वर्ष की अपेक्षा रिर्पोटाधीन अवधि में भी लड़कियों की संख्या में शिक्षा के भिन्न भिन्न स्तरों पर वृद्धि हुई है।

लड़कियों की संख्या (लाखों में)

शिक्षा स्तर	1974-75	1975-76
प्राथमिक स्तर	3.32	3.52
माध्यमिक तर	0.87	0.92
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	0.39	0.43
कालेज स्तर	0 21	0.21

छात्रवृतियां

7.3 राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की अतिरिक्त छात्रवृत्तियां केवल लड़कियों को इस विचार से भी दी जाती है कि वह भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनके माता पिता तथा संरक्षक अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा में बाधक न बन सकें। अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग की लड़कियों को भी प्रोत्साहन देने के लिए महाविद्यालय स्तर पर उन लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है जिनके मातापिता की आय निश्चित सीमा से कम हो।

कन्याओं को वर्ष 1975-76 में दी गई छात्रवृत्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

छात्र वृत्ति का नाम	छात्रवृत्ति यों की संख्या केवल लड़कियों के लिए	मासिक दर
		रु0
स्कूल स्तर :—		
मिडिल स्कूल छात्रवृत्ति	378	10
उच्च स्कूल योग्यता छात्रवृत्ति	411	15

महाविद्यालय स्तर :—		
राज्य योग्यता छात्रवृत्ति, उच्च/उच्चतर माध्यमिक (प्राथमिक भाग)	47	22
(क) प्रैप	83	45
(ख) उच्चतर माध्यमिक द्वितीय वर्ष	15	45
स्कूल स्तर पर :—		
4. हरिजन छात्राओं के लिए योग्यता छात्रवृत्ति योजना :—[1]	50	20
	50	25
	50	30

7.4 महिला संस्थाओं की संख्या :

संस्था का प्रकार	राजकीय	अराजकीय	कुल
1. माध्यमिक विद्यालय	79	6	85
2. उच्च विद्यालय	98	78	176
3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	20	2	22
4. महाविद्यालय	1	24	25

पिछले कुछ वर्षों से महिला विद्यालयों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इस का कारण यह है कि उन स्थानों पर जहां कन्याओं के लिए अलग विद्यालय नहीं है, कन्याएं लड़कों के स्कूलों में प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं। इन सुविधाओं के अतिरिक्त कन्याओं के लिए अलग प्राथमिक विद्यालय भी निम्नलिखित शर्तों पर खोले जाते हैं :

1. यदि स्थानीय ग्रामीण जनता की मांग हो।

2. यदि स्थानीय जनता स्कूल भवन का प्रबन्ध करें।

3. यदि 30 य 40 कन्यग्रों की संख्य स्कूल में प्रवेश होने के लिए उपलब्ध हो।

4. यदि एक मील के दायरे में कन्यग्रों के लिए कोई ग्रौर स्कूल न हो।

5. जिल शिक्षा ग्रधिकरी कन्यग्रों के लिए ग्रलग प्राथमिक ब्रांच विद्यालय खोल सकते हैं यदि उस गांव में लड़कियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो ग्रौर ग्रतिरिक्त स्टाफ न देना पड़े।

"अध्याय आठवां"

'शिक्षा सुधार कार्यक्रम'

8.1 शिक्षा सुविधाओं के विकास के साथ साथ शिक्षा में गुणात्मक सुधारों के लिए विभाग द्वारा विशेष पग उठाए गए हैं ताकि विकास के साथ शिक्षा के स्तर में कोई न्यूनता न आए।

शिक्षा सुधार कार्यक्रम में राज्य शिक्षा संस्थान का भी विशेष महत्व है। अध्यापकों को नवीन शिक्षण पद्धतियों तथा रीतियों के अनुसार शिक्षा देने के लिए मार्ग दर्शन भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का हल ढूंढ़ने तथा समाधान के लिए विशेष अनुसंधान भी किए जाते हैं।

राज्य शिक्षा संस्थान:

8.2 राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधारों तथा शिक्षा में अनुसंधान करने हेतु की गई थी। इस के अतिरिक्त इस संस्थान में अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वर्ष 1975-76 में इस केन्द्र में कई प्रकार की संगोष्ठिया तथा सैमीनार आयोजित किये गए। इस संस्थान को देख रेख में इस वर्ष 1200 बी0ए0बी0एड0 तथा 5000 जे0बी0टी0 अध्यापकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण दिया गया।

इस संस्थान में 'प्राथमिक अध्यापक' नाम मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है। यह पत्रिका प्रत्येक प्राथमिक अध्यापक को भेजी जाती है। इसमें अध्यापक अपनी कक्षा अध्यापन की समस्याओं के बारे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

राज्य विज्ञान संस्थान :

8.3 राज्य विज्ञान संस्थान की स्थापना अध्यापकों को वैज्ञानिक क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों में अवगत करने तथा विज्ञान शिक्षण को और अधिक बढ़ावा

देने के उद्देश्य से हुई थी। वर्ष 1975-76 में इस संस्थान ने यूनिसिफ स्कीम के अन्तर्गत 393 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया। प्राथमिक अध्यापकों के सेवाकालीन केन्द्रों में विज्ञान तथा गणित विषय के Key persons को भी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त इस वर्ष 151 अध्यापकों को उपमंडल स्तर पर संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 में प्राईमरी स्कूलों के लिए 1488 साईंस किट्स भी खरीदी गई, तथा इतने ही अध्यापकों/अध्यापिकाओं को विज्ञान प्रशिक्षण दिया गया।

सेवाकालीन प्रशिक्षण के अतिरिक्त विद्यार्थियों में विज्ञान शिक्षा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए कई प्रकार की राज्य स्तर पर वैज्ञानिक संगोष्ठियों एवं वैज्ञानिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

युनिसिफ के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षा सुधार कार्यक्रम :

8.4 इस प्रयोजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक स्तर तक विज्ञान शिक्षा में सुधार लाना है। युनिसिफ प्रोग्राम के अन्तर्गत पायलेट स्कूल में विज्ञान किटें तथा पुस्तकें बिना मूल्य के दी जाती हैं। अब तक यह स्कीम 350 प्राथमिक तथा 330 माध्यमिक विद्यालयों में शुरु की जा चुकी है। राज्य सरकार भी इस स्कीम के विस्तार के लिए राशि की व्यवस्था करती है। वर्ष 1975-76 में राज्य सरकार ने 512 प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान किटें देने तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए 4.33 लाख रुपये की व्यवस्था की।

शाला संगम

8.5 प्राथमिक शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने तथा अध्यापकों को व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि करने हेतु शाला संगम योजना के अधीन केन्द्रीय विद्यालयों में प्राथमिक अध्यापकों की मासिक बैठकों का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वर्ष 1974 में शुरु किया गया और इस समय तक राज्य के प्रत्येक राज्यकीय उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को केन्द्रीय विद्यालय मानकर उनके निकटवर्ती प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के प्राथमिक अध्यापकों को शैक्षिक मार्गदर्शन देने के लिए संलग्न कर दिया गया है। इस वर्ष सभी केन्द्रीय स्कूलों के मुख्यों की जिला स्तर पर एक दिन की संगोष्ठी का आयोजन किया गया

जिसमें उन्हें इस स्कीम को सुचारु रूप से चलाने बारे ज्ञान दिया गया। इस संगोष्ठी में जिला शिक्षा अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया। वर्ष 1975-76 में ऐसे केन्द्रों की संख्या 841 थी।

कार्य अनुभव :

8.6 यह स्कीम बेसिक शिक्षा के उद्देश्य पर आधारित है। वर्ष 1974-75 के अंत तक कार्य अनुभव कार्यक्रम 400 स्कूलों में जलाया जा रहा था। 1975-76 में इस स्कीम के अन्तर्गत अन्य 27 प्राईमरी, 35 मिडल तथा 30 उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में भी यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया। रिपोर्टाधीन अवधि में इस स्कीम के लिए निम्नलिखित राशि की व्यवस्था की गई है:

204	उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1,02,000
138	माध्यमिक विद्यालय	58,250
150	प्राथमिक विद्यालय	37,500
	कुल	1,97,750

शिक्षा संस्थाओं में भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि :

8.7 केवल पिछले चल रहे निर्माण कार्यों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित राशि खर्च की गई थी:

क्रम संख्या	निर्माण कार्य	वर्ष 1975-76 में खर्च की जाने वाली राशि (लाखों में)
1.	राजकीय प्राथमिक स्कूल, तोशाम	4.61
2.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नारनौल	1.21
3.	बी0एन0सी0 राजकीय महाविद्यालय, भिवानी	9.16
4.	राजकीय महाविद्यालय	5.00
5.	स्टेट पुस्तकालय, अम्बाला (एक्स्टैंशन)	0.71

8.8 राजकीय महाविद्यालय हिसार

हरियाणा सरकार ने राजकीय महाविद्यालय हिसार के नए भवन का निर्माण कार्य वर्ष 1971-72 में 53.70 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत किया था जिसकी अब संशोधित कास्ट 45.81 लाख रुपए है। इसमें निम्न कार्य सम्पन्न हो चुके हैं और राजकीय महाविद्यालय को इस भवन में शिफ्ट करने का निर्णय हो चुका है।

1. साईन्स ब्लाक

2. एडमिनिस्ट्रेशन तथा लाईब्रेरी ब्लाक (प्रशासन तथा पुस्तकालय)

3. रिहायशी भवन

4. कनैकिटंग कोरीडोर इत्यादि।

इस निर्माण कार्य पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने वित्तीय वर्ष 1975-76 के अन्त तक कुल 31.25 लाख रुपये खर्च किए हैं। इस कालेज का आर्टस तथा एम०ए० ब्लाक अभी निर्माणाधीन है जिसके लिए 1976-77 वित्तीय वर्ष में 11.00 लाख रुपये की राशि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को खर्च के लिए सरकार द्वारा दी जायेगी।

बच्चों के बैठने के लिए स्कूलों के लिए स्कूलों तथा अनुभागों के लिए फर्नीचर, टाट तथा अन्य भौतिक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु 2.95 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

इस वर्ष सैकेण्डरी स्कूलों के भवनों की मुरम्मत के लिए 5.50 ल.ख रुपये लोक निर्माण विभाग को दिए गए।

राजकीय प्राथमिक स्कूलों, भवनों की मुरम्मत के लिए सभी नगरपालिकाएं तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियां 5 हजार से 25 हजार रुपये तक की राशि हर वर्ष अपने कोष से ही खर्च करेंगी।

इस वर्ष देहली दूरदर्शन केन्द्र के 100 किलोमीटर के व्यासार्ध में स्थित

18 स्कूलों में शिक्षा प्रसारण हेतु प्रत्येक स्कूल को एक टेलीविजन सैट (टी0वी0 सैट) खरीद कर दिया गया है।

प्लैनिंग फोरम :

.8.9 वर्ष 1975-76 में 2 विश्वविद्यालयों 14 राजकीय तथा 101 अराजकीय कालिजों में स्थापित किए गए प्लैनिंग फोरमज के कार्यकलापों को अपनाने हेतु 49,600/- रुपये की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है।

'अध्याय नौवां "

छात्रों के लिए छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता :

9.1 भिन्न-भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कई प्रकार की वित्तीय सहायता तथा छात्रवृत्तियां भी दी गई।

भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना :

9.2. इस योजना के अधीन वर्ष 1975-76 में हरियाणा राज्य के विद्यालयों/महाविद्यालयों से परीक्षा पास करने वाले 259 छात्रों को नई छात्र-वृत्तियां दी गई तथा 494 पिछले वर्षों की छात्रवत्तियों का नवीकरण किया गया। इन पर कुल 6,37,355 रुपए की राशि खर्च की गई।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य छात्र वृत्तियोजना :

9.3 भारत सरकार हरियाणा राज्य के अध्यापकों के बच्चों को भिन्न-2 परीक्षाओं के आधार पर प्रति वर्ष लगभग 8 नई छात्रवृत्तियां देती है। राज्य सरकार भी वर्ष 1971-72 से 10 अतिरिक्त छात्रवृत्तियां दे रही हैं। वर्ष 1975-76 में भारत सरकार की नई तथा नवीकरण की गई 33 छात्रवृत्तियों पर 27,545 रुपए की राशि खर्च की गई तथा राज्य सरकार की नई तथा नवीकरण की गई छात्रवृत्तियों पर 27,415 रुपए की राशि खर्च की गई।

महाविद्यालयों में राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना :

9.4 इस स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा निवासी छात्रों को योग्यता के आधार पर मैट्रिक उपरान्त के संस्थाओं में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाती हैं। वर्ष 1975-76 में इस स्कीम के अधीन 4,15,020 रुपए की व्यवस्था योजनेतर पक्ष पर की गई थी तथा इससे 576 छात्रों ने लाभ उठाया।

सैनिक स्कूलों में पढ़ाई हेतु हरियाणवी छात्रों को छात्रवृत्तियां :

9.5 सेना के लिए उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध करने हेतु सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवीं छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 में 631 छात्रों पर 13,79,693 रुपए खर्च हुए।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना :

9.6 भारत सरकार ने कम से कम 50% अंक लेने वाले गरीब माँ बाप के योग्य बच्चों को, जिनको कोई अन्य छात्रवृत्ति/सहायता न मिली हो, ऋण छात्रवृत्ति योजना वर्ष 1963-64 से शुरु की। इस योजना के अधीन हरियाणा राज्य में वर्ष 1975-76 में 3,91,500 रुपए की राशि का 564 छात्रों ने लाभ उठाया।

स्कूलों के छात्रों के लिए योग्यता छात्र वृत्ति योजना :

9.7 राज्य सरकार की ओर से माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 1014 छात्रों को 10/- रु० मासिक और उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 668 छात्रों को 15/- रु० मासिक दर से छात्रवृत्तियां दी गई। इस वर्ष इन छात्रवृत्तियों के लिए क्रमशः 2.56 लाख तथा 2.65 लाख रुपए की व्यवस्था की गई।

ग्रामीण क्षेत्र के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

9.8 ग्रामीण क्षेत्र के योग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय तथा राजकीय दोनों प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

दो छात्रवृत्तियां प्रति विकास खंड भारत सरकार तथा राज्य सरकार की ओर से क्रमशः स्वीकृत की जाती हैं। इस योजना के अधीन वर्ष 1975-76 में 1.50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी।

संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां :

9.9 संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार की ओर से नौवीं

तथा दसवीं कक्षा में संस्कृत पढ़ने वालें छात्रों को 10/- रु0 प्रति मास की दर से प्रत्येक जिले में दो छात्रवृत्तियां दीं जाती हैं । इस योजना पर वर्ष 1975-76 में 6000/- रु0 की व्यवस्था की गई थी।

तेलगू पढ़ने वालों छात्रों की छात्रवृत्तयां :

9.10 हरियाणा राज्य में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है। वर्ष 1975-76 में 10/- प्रति मास की दर से 156 छात्रवृत्तियां सातवीं कक्षा में तथा 153 छात्रवृत्तियां आठवीं कक्षा के लिए उपलब्ध है और इस वर्ष इन के लिए 37,080 रुपए की राशि की व्यवस्था की गई।

अनुसूचित जातियां/पिछड़े वर्ग के छात्रों के शिक्षा विकास के लिए सुविधाएं:

9.11 अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को सभी प्रकार की शैक्षणिक, व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा इत्यादि के लिए विशेष सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे छात्र बिना किसी भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने के लि राज्य हरिजन कल्याण योजना तथा 'भारत सरकार मैंट्रिक उपरान्त अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्ति योजना' के अधीन छात्रवृत्तियां तथा निशुल्क शिक्षा आदि की सुविधाएं दी जाती हैं।

राज्य हरिजन कल्याण योजना :

9.12 इस योजना के अधीन स्कूल स्तर पर अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को 9वीं, 10वीं तथा 11वीं कक्षाओं में 8 रुपए मासिक दर से छात्र वृत्ति प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त निशुल्क शिक्षा तथा परीक्षा प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधाएं भी दी जाती हैं। कालिज स्तर पर केवल पिछड़े वर्ग के छात्रों को 15/- रुपए 20 रुपए तथा 25 रुपए मासिक की दर से भिन्न-भिन्न कक्षाओं/कोर्सों में छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है और निशुल्क शिक्षाए परीक्षाप्रवेश शुल्क की सुविधाएं भी दी जाती हैं। ये सभी सुविधाएं देने के लिए छात्रों के माता/पिता एवं संरक्षकों के लिए 4200/- रुपए वार्षिक आयु सीमा

निर्धारित है। स्कूल स्तर पर एक कक्षा में फेल होने पर केवल दूसरे वर्ष में उसी कक्षा में केवल टयूशन फीस की सुविधा देय होती है और अन्य कोई सुविधा नहीं दी जाती। जिन छात्रों को वार्षिक परीक्षा में कम्पार्टमैंट हो, उन्हें यह सभी सुविधाएं तभी मिलती हैं जबकि वह निकटतम आगामी अनुपूरक परीक्षा में अपनी गत वार्षिक परीक्षा की कम्पार्टमैंट (Clear) कर लें।

स्कूल स्तर पर उप मंडल शिक्षा अधिकारियों को ये सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता है। राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भी अपनी संस्था के छात्रों को स्वयं ही ये सुविधाएं स्वीकृत करने की क्षमता दी हुई है। अराजकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले पिछड़े वर्ग के छात्रों को सभी सुविधाएं स्वीकृत करने की क्षमता सहायक निदेशक छात्रवृत्ति (शिक्षा निदेशालय) को ही हैं।

इस योजना के अन्तर्गत 1975-76 में 40 लाख रुपए की राशि व्यवस्थति थी।

हरियाणा राज्य में हरिजन छात्राओं के लिए योग्यता छात्रवृत्ति योजना :

9.13 नौवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रतिवर्ष प्रत्येक कक्षा में 50 छात्रवृत्तियां क्रमशः 20, 25 तथा 30 रुपए मासिक दर से प्रदान की जाती हैं। ये छात्रवृत्तियां गत वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्राओं को उपलब्ध की जाती है। इन छात्रवृत्तियों के लिए इस योजना के अन्तर्गत 1975-76 में 45,000 रुपए की व्यवस्था थी।

विमुक्त जाति कल्याण छात्रवृत्ति योजना :

9.14 विमुक्त जाति के बच्चों को स्कूल स्तर एवं कालेज स्तर पर छात्रवृत्तियां देने के लिए अलग से यह योजना चल रहीं है, जिस के लिए 33,330 रुपए की राशि 1975-76 के लिए व्यवस्थित थी।

'अध्याय दसवां'

विविध

खलकूद :

10.1 विद्यार्थियों के सर्वांग विकास के लिए शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा के साथ-साथ खलकूद क्रियाओं तथा शारीरिक शिक्षा को उचित महत्व दिया जाता है। जिला तथा राज्य स्तर पर होने वाली क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए लड़के तथा लड़कियों को अलग अलग खेलों की टीमों को शिक्षा विभाग तथा खेलकूद विभाग के परस्पर सहयोग से तैयार किया जाता है। खेलों पर व्यय, शिक्षा संस्थाओं की मिश्रित निधि से किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार भी अपने खाते से कुछ धनराशि अनुदान के रूप में देती है। वर्ष 1975-76 में राज्य सरकार द्वारा 21,900/- रुपये की धन राशि अर्न्तजिला/अन्तर राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं एवं जूनियर नेहरु हाकी प्रतियोगिताओं के लिए स्वीकृत की गई। अन्तर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्रों/टीमों द्वारा निम्न लिखित स्थान प्राप्त किए गए :

1. शरद् ऋतु की खेल प्रतियोगिताएं :
   (आटम मीट)

   कबड्डी (बालिकाएं) तृतीय स्थान प्राप्त करके कांसे का पदक प्राप्त किया।

1. शीत ऋतु की खेल प्रतियोगताएं :
   (विन्टर मीट)

   (1) हाकी (बालिकाएं) द्वितीय स्थान—रजत पदक प्राप्त किया।

   (2) जमनास्टिक (बालिकाएं) रजक पदक प्राप्त किया।

(3) कुश्ती — एक स्वर्ण पदक, दो रजक पदक, द्रो कांसे के पदक राज्य के छात्र मल्लों ने समूचे तौर पर 13 बिन्दु प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया।

(4) एथलैटिक्स — एक स्वर्ण पदक, दो रजक पदक।

छात्रों के खेलकूद के स्तर को समृद्ध बनाने में राज्य के खेलकूद विभाग का पूर्ण सहयोग उपलब्ध है। विद्यालयों में कार्यकर्ता शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों तथा इस विषय में विशेष रुचि रखने वाले अध्यापकों एवं छात्रों की खेलकूद में आधुनिक वैज्ञानिक ढंग का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य का खेल विभाग प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की योजना को कार्यान्वित करने में प्रयत्नशील है।

नैशनल फिटनैस कोर योजना :

10.2 इस योजना के अधीन छात्रों को ड्रिल, मार्चिग, लेजियम, छोटे बड़े खेल, जमनास्टिक, मल खम्ब, योगा आदि के प्रशिक्षण के अतिरिक्त नागरिकता के सिद्धान्त तथा राष्ट्रीय आदेशों के सम्बन्ध में भी ज्ञान दिया जाता है। इस योजना के लिए राज्य के बहुत से स्कूलों में राष्ट्रीय अनुशासन योजना अनुदेशक नियुक्त हैं। इस योजना पर राज्य सरकार द्वारा किए गए समस्त व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

एन0एस0एस0 योजना :

10.3 राज्य में महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के व्यक्तित्व और उनके बौद्धिक विकास के लिए एन0एस0एस0 की योजना वर्ष 1970-71 से चलाई जा रही है। वर्ष 1975-76 के अन्त तक एन0एस0एस0 योजना का कार्यक्रम राज्य के 73 महाविद्यालयों में चलाया जा रहा है। इस पर होने वाले खर्च की बांट का अनुपात भारत सरकार तथा राज्य सरकार में 7:5 है। इस वर्ष इस योजना पर लगभग 4.02 लाख का खर्च किया गया।

वर्ष 1975-76 में एन0एस0एस0 स्कीम के अन्तर्गत बीमारी तथा गंदगी

के विरुद्ध नवयुवक अभियान के अधीन हरियाणा राज्य में 120 शिविर लगाए गए हैं जिनमें 4874 छात्रों। कैम्पर्ज ने भाग लिया। इन शिविरों पर 3.60 लाख रुपए खर्च किए गए तथा निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य किया गया :

1. Environmental Sanitation.

2. Medico Social Works such as mass immunisation including primary vaccination

3. Provision of potable water.

4. Construction of Gobar Gas Plants wherever feasible.

भारत सेवक समाज :

10.4 भारत सेवक समाज की शाखाएं देश के भिन्न भिन्न भागों में स्थित है। यह एक नान सैक्शनल, नान कम्यूनल तथा नान पोलिटीकल संस्था है। इस संस्था द्वारा जिला समुदाय विकास के अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों के परामर्श से स्थान चुनकर शिविर आयोजित किए जाते हैं जिनमें स्कूलों के छात्रों को भी भाग लेने का अवसर प्राप्त है।

एन0सी0सी0

10.5 यह स्कीम भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमानुसार चलाई जा रही है। हरियाणा राज्य में इस स्कीम के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं, जल, थल, तथा वायु सेनाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सीनियर डिवीजन तथा स्कूल छात्रों के लिए जूनियर डिवीजन स्थापित किए हुए हैं। कन्या छात्राएं केवल थल सेना का प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। वर्ष 1975-76 में हरियाणा राज्य में सीनीयर/जूनियर डिविजन की बटालियन तथा उन में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या

निम्नलिखित थी :—

सीनीयर डिवीजन :	बटालियन	कैडिट
इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिए)	16	9500
—सम—: (लड़कियों के लिए)	2	1705
वायु सुकँडरन	2	400
जल बटालियन (नेवल)	1	200
ग्रुप हैडक्वार्टर	2	200
कुल	23	12000

जूनियर डिवीजन :—

इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिए)	163	13060
इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कियों के लिए)	12	950
वायु विंग	15	1190
जल विंग	6	430
कुल	196	15630

एन0सी0सी0 क्रियाओं के लिए 1975-76 में कुल 39.12 लाख रु0 की बजट व्यवस्था की गई। कुल 24 शिविर लगाए गये हैं और इसमें 247 अधिकारियों तथा 7280 कैडिटों ने भाग लिया।

केयर स्कूल फीडिंग कार्यक्रम :—

10.6. इस स्कीम के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन का लाभ हरियाणा राज्य के 83 शैक्षिक देहाती क्षेत्रों में स्थित प्राईमरी स्कूलों के लगभग 2.50 लाख

बच्चों को दिया जाता है। वर्ष 1975-76 में लगभग 89 लाख पौंड खाद्य सामग्री केयर द्वारा हरियाणा राज्य को दी गई जिसका मूल्य लगभग एक करोड़ बीस लाख रु0 बनता है। राज्य सरकार द्वारा इस सामग्री को बन्दरगाह से स्कूलों तक पहुंचाने तथा अन्य संबंधित खर्चों के लिए कुल 16,23,400/- रु0 की व्यवस्था की गई थी जिसमें लगभग 2.5 लाख छात्रों को मध्यान्ह भोजन दिया गया।

भारत स्काउटस एंड गाईडज :

10.7 राज्य की शिक्षा संस्थाओं में भारत स्काउट एवं गाईड आंदोलन छात्रों में भ्रातृ प्रेम, नेतृत्व की भावना तथा जन-जाति की सेवा करने का भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। यह आंदोलन हरियाणा भारत स्काउट एवं गाईड ऐसोशियेशन के संरक्षण में चल रहा है।

वर्ष 1975-76 में हरियाणा भारत स्काउट एवं गाईड संस्था द्वारा 24 ब्वायज स्काउट के तथा 16 गर्ल गाईड के प्रशिक्षण शिविर लगाए गए जिनमें क्रमशः 3164 स्काऊटस तथा 934 गाईडज ने भाग लिया। हरियाणा राज्य के 128 स्काऊटस तथा 108 गाईडस ने प्रेज़ीडेंट स्काउट/गाईड के स्तर की योग्यता प्राप्त की जिनको राष्ट्रपति ने प्रेज़ीडेंट बैज्रिज प्रदान किए। स्कूलों में वर्ष 1975-76 में स्काऊटस तथा गाईडज की संख्या क्रमशः 29655 तथा 15112 थी। राज्य सरकार द्वारा संस्था को 56,000/- रुपये अनुदान के रूप में दिए गए। राज्य सरकार ने स्कूलों में नए युनिटस स्थापित करने के लिए 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि अनुदान के रूप में वर्ष 1975-76 में दी। वर्ष के अन्त तक 153 नए यूनिटस स्थापित किए गए।

हरियाणा राज्य की एक गाईड संगीता, छात्रा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बाला शहर गलर्ज गाईड के हांगकांग में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए चुनी गई। यह राज्य के लिए एक गौरव का अवसर था। अतः राज्य सरकार ने इस छात्रा को हांगकांग के लिए दोनों ओर का हवाई जहाज का किराया तथा कैम्प फीस के व्यय के लिए 6400/- रुपये की राशि राजस्व खाते से स्वीकृत की।

रैडक्रास :

10.8 रैडक्रास संस्था समाज के रोगियों, घायलों, अंगहीन तथा निर्धनों की सहायता करने में महत्वपूर्ण कार्य करती है। संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को छात्रों में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से राज्य में जिला स्तर पर जूनियर रैडक्रास संस्थाएं, जिला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में स्थापित है। विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों से रैडक्रास फंड भी लिया जाता है। यह एकत्रित धनराशि आवश्यकता-ग्रस्त बच्चों को पुस्तकें, वर्दियां, चिकित्सा सहायता इत्यादि देने पर व्यय की जाती है इसके अतिरिक्त एकत्रित राशि का कुछ प्रतिशत भाग साकेत में अंगहीन बच्चों तथा व्यक्तियों को चिकित्सा हेतु हर वर्ष दिया जाता है।

संस्था द्वारा वर्ष 1975 में 16 जे0आर0सी0 काऊन्सैलराज, 9 इन्दिरा हालीडे होम तथा 4 शिविर तारादेवी में लगाए गए। इसके अतिरिक्त राज्य के 26296 पुरुषों तथा 2319 महिलाओं को फर्स्ट एड की ट्रैनिंग और 1716 पुरुषों तथा 1551 महिलाओं को होम नर्सिग की ट्रैनिंग भी दी गई है जिनमें छात्र भी सम्मिलित है। विभागीय सेवा में कार्यकर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों/छात्रों में इसी अभियान में सराहनीय कार्य किया।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिरसा की जूनियर रैडक्रास राज्य भर में श्रेष्ठ मानी गई और इसको संस्था द्वारा शील्ड दी जा रही है।

इस वर्ष राज्य के जूनियरज ने अखिल भारतीय निबन्ध प्रतियोगता में भाग लिया और प्रथम, तृतीय तथा सान्त्वना पुरस्कार (Consolation Prizes) प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त राज्य के जूनियरज ने इंटरनैशनल गिफ्ट एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेते हुए एलबम्वज पुस्तकें हाथ से बनी वस्तुएं, डाक टिकटें, कार्ड तथा फोटोग्राफ आदि दूसरे देशों को भेजें।

पुस्कालयों का विकास :

10.9 रिपोर्टाधीन वर्ष में नगरपालिका पुस्तकालय, भिवानी का प्रशासनिक नियंत्रण अब राज्य सरकार के अधीन आ गया है जिसके फलस्वरूप राज्य में पुस्तकालयों की संख्या 6 से बढ़कर 7 हो गई है। जिला भिवानी के पुस्तकालय के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 1975-76 में 28,400 रु0 की राशि

साज सज्जा, पुस्तक, पत्रिकाएं इत्यादि खरीदने के लिए स्वीकृत की। इसके अतिरिक्त इस पुस्तकालय के लिए निम्नलिखित अमला भी स्वीकृत किया गया:—

वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष	1	कनिष्ठ पुस्तकाध्याक्ष	1
स्टैनोटाईपिस्ट	1	रैस्टोरर	1
चतुर्थ श्रेणी	3		

इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा इन पुस्तकालयों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 40.3 लाख रुपय की राशि की व्यवस्था की गई।

हरियाणा सरकार ने नेकीराम शर्मा, पुस्तकालय, भिवानी का निर्माण कार्य वर्ष 1973-74 में 8.65 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत किया था। अब इसकी संशोधित लागत 13.28 लाख रुपये है। यह कार्य वष 1973-74 में लोक निर्माण विभाग, हरियाणा द्वारा शुरु किया गया था, जो कि अब पूरा हो चुका है और पुस्तकालय इस नये भवन में शिफ्ट हो चुका है। इस निर्माण कार्य पर 1975-76 के अन्त तक लोक निर्माण विभाग ने कुल 11.53 लाख रुपये खर्च किये हैं।

भगवान महावीर की 2500वीं जन्मतिथि के अवसर पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुंजपुरा में एक ग्रामीण पुस्तकालय केन्द्र की स्थापना की गई, जिस पर सारा खर्च भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय पुस्तकालय द्वारा राज्य/जिला पुस्तकालयों को लाभदायक पुस्तकें दिलाने के लिए उन्हें 54650/- रुपये का अनुदान दिया गया।

हरियाणा राज्य राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान :

10.10 5 सितम्बर, 1975 को 14 वां शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कल्याण कोष के लिए 6,73,163/- रुपये की राशि एकत्रित की गई तथा विपदाग्रस्त अध्यापकों को तथा उनके आश्रितों को इस कोष से 83,421/- रु0 सहायता के रूप में इस वर्ष दिये गये।

परिशिष्ट 'क'

31-3-76 को निदेशालय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी

क्रम संख्या	पद का नाम	वर्ग	अधिकारी का नाम
1	निदेशक शिक्षा	प्रथम	(1) श्री ए:सी:अग्रवाल, आई: ए: एस:, (1-9-75) तक (2) श्री एल: एम: गोयल, आई: ए: एस: (9-10-75 से 31-3-76 तक)
2	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	,,	श्रीमति प्रमिला ईसर, आई: ए: एस:, (22-7-75 से 9-10-75 प्रातः)
3	संयुक्त निदेशक (शिक्षा)	,,	श्री कुलदीप सिंह बत्रा, एच: ई: एस:, (1-4-75 से वर्ष के अन्त तक)
4	उप निदेशक विद्यालय	,,	श्रीमात राजदुलारी, एच: ई: एस:, (25-7-74 से वर्ष के अन्त तक)
5	उप निदेशक महाविद्यालय	,,	श्री धर्म सिंह ढिल्लों, एच:ई: एस:, (14-7-75 से वर्ष के अन्त तक)
6	उप निदेशक योजना	,,	श्री जगदीश राज, एच: ई: एस:, (2-11-71 से साल के अन्त तक)
7	अध्यक्ष, अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा	,,	श्री के: एल: जाकिर, (अंशकालिक)
8	सहायक निदेशक परीक्षा	द्वितीय	श्री जे: पी: सुन्दर लाल, एच: ई: एस:, (1-5-70 से साल के अन्त तक)

1	2	3	4
9	सहायक निदेशक आंकड़ा	द्वितीय	श्रीमति पुष्पा अवरोल, एच: ई: एस:, (11-11-70 से साल के अन्त तक)
10	सहायक निदेशक छात्रवृत्ति	,,	श्री विजय सिंह यादव, एच: ई: एस:, (26-7-72 से साल के अन्त तक)
11	सहयिक निदेशक पुस्तक	,,	श्री बाबुराम गुप्ता, एच: ई: एस:, (6-7-72 से 8-3-76 तक)
12	सहायक निदेशक शिक्षक प्रशिक्षण	,,	श्री एस: एस: कौशल, एच: ई: एस:, (29-5-73 से वर्ष के अन्त तक।
13	सहायक निदेशक कैंडिटाकोर	,,	श्री बी: आर: बजाज, एस: ई: एस:, (25-7-73 से साल के अन्त तक)
14	सहायक निदेशक शिक्षक स्थापना	,,	श्री चन्द्रभान, एच: ई: एस:, (25-5-73 से 3-12-75 तक।
15	सहायक निदेशक निर्माण	,,	श्री नरेन्द्र कुमार, एच: ई: एस:, (5-8-75 से वर्ष के अन्त तक)
16	प्रशासन अधिकारी	,,	श्री मदन लाल, एच: एम: एस:, (अगस्त 73 से वर्ष के अन्त तक)
17	रजिस्ट्रार शिक्षा	,,	श्री गुरदयाल सिंह, एच: एस: एस:, (17-2-75 से वर्ष के अन्त तक)
18	लेखा अधिकारी–i	,,	श्री डी: आर: तलवाड़, (2-2-72 से वर्ष के अन्त तक)
19	लेखा अधिकारी–ii	,,	श्री जे: पी: रत्न (8-5-73 से वर्ष के अन्त तक)
20	बजट अधिकारी	,,	श्री कृष्ण गोपाल, (2-2-72 से वर्ष के अन्त तक)

परिशिष्ट 'ख'

क्रः	ज़िले का नाम	जिला शिक्षा अधिकारी का नाम	उपमंडल शिक्षा अधिकारियों का नाम
1	अम्बाला	कुः शान्ता राजदान	श्री आर एस शर्मा, अम्बाला श्रीमति पीः कपूर, जगाधरी श्री धर्मवीर कपूर, नारायणगढ़
2	भिवानी	बाबू राम गुप्ता	श्री ओः पीः सेठ, लोहारु रिक्त—चरखी दादरी श्री राजेन्द्र सिंह भिवानी
3	गुड़गांव	प्रेम प्रकाश	श्रीमति पीः चड्डा, पलवल श्री इन्द्र सैन घई, बल्लभगढ़ श्री जेः सीः तनेजा, नूह श्री बलराज शर्मा, फिरोजपुर झिरका श्री गगन सिंह, गुड़गांव
4	हिसार	श्री केःसीः पल्टा	श्री ज्ञान स्वरूप, हांसी श्री जेः पीः शर्मा हिसार श्री आरः एनः वैद्य फतेहाबाद
5	जींद	श्री चन्द्रभान	श्री हृदय राम जींद श्री साधूराम जैन, नरवाना
6	कुरुक्षेत्र	डा0 एसःएनः बत्रा	श्री बीः आरः गोयल, थानेसर श्री ओः पीः बत्रा, कैथल
7	करनाल	श्री इन्द्र जीत सिंह	श्रीमति जानकी बाई करनाल श्री जेः डीः शर्मा पानीपत

8 महेन्द्रगढ़	कुः बीः बुद्धिराजा	श्री सोहन लाल नारनौल श्री प्रेम प्रकाश महेन्द्रगढ़ श्रीमति कमला मित्तल रिवाड़ी
9 रोहतक	श्री सोहन लाल	श्री बीः एसः शास्त्री रोहतक श्री सूरज मल झज्जर
10 सोनीपत	श्री एमःपीःजैन	श्री जगबीर सिंह सोनीपत श्रीपीःसीःमेहतागोहाना (निलम्बित)
11 सिरसा	श्री आर एन सरीन	श्री एनः आरः मित्तल सिरसा

परिशिष्ट 'ग'

31-3-76को श्रेणी–i और ii के कुल पद कालिज और स्कूलों के अलगअलग

क्र:स:	पद नाम	वर्ग	कुल संख्या	संख्या पुरुष	स्त्री
1	निदेशक राज्य शिक्षा संस्थान	I	1	1	—
2	निदेशक राज्य विज्ञान संस्थान	I	1	1	—
3	प्राचार्य, राजकीय माविद्यालय	I	14	12	2
4	प्रोफैसर राजकीय महाविद्यालय	I	9	2	1 (6 रिक्त पद)
5	निदेशक राज्य शैक्षाणिक एवं व्यावसायिक सदर्शन केन्द्र	I	1	1	—
6	ज़िला शिक्षा अधिकारी	I	11	9	2
7	उपमंडल शिक्षा अधिकारी/उप ज़िला शिक्षा अधिकारी	II	39	26	13
8	प्राचार्य, रा: उ: मा: वि:	II	77	55	22
9	प्राचार्य, जे: बी: टी: स्कूल	II	4	2	2
10	विरिष्ठ विशेषज्ञ	II	3	2	1
11	विज्ञान परामर्शी	II	1	1	—

12	मूल्यांकन अधिकारी	II	2	1	1
13	परामर्शदाता	II	1	1	—
14	मनोविज्ञानिक/वरिष्ठ प्राध्यापक	II	216	166	50
15	तकनीकी प्राध्यापक	II	7	7	—
16	राज्य पुस्तकाध्यक्ष	II	1	1	—
17	अध्यक्ष, अवौचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा	I	1	1	—

6824—D.P.I.—H.G.P., Chd.